कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, आरा
जिला– भोजपुर

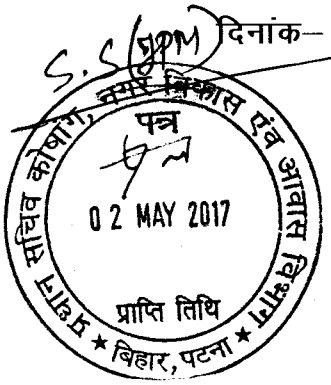


महाशय,

नगर निगम, आरा के अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1200 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

— ह० —
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14664 / 32 दिनांक– 28.4.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भोजपुर

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

# कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार पटना

## सामाजिक प्रक्षेत्र–I

## निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1200/16–17

## भाग–I

## प्रस्तावना

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निरीक्षित कार्यालय का नाम | नगर निगम आरा |
| 2 | निरीक्षित लेखा अवधि | अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक |
| 3 | विस्तृत जाँच का माह | 01/2016 |
| 4 | लेखा परीक्षा की तिथि | 09.01.2017 से 03.02.2017 तक (20 कार्य दिवस) |
| 5 | कार्यालय प्रधान का नाम | श्री प्रमोद कुमार (बि0प्र0से0), नगर आयुक्त |
| 6 | लेखा परीक्षा दल के सदस्य | 1. श्री रोशन कुमार, स0ले0प0अ0 (09.01.17 से 14.01.17 तक)<br>2. मो0 मोजम्मिल, स0ले0प0अ0 (28.01.17 से 03.02.17 तक)<br>3. श्री बलराम मिश्रा, स0ले0प0अ0<br>4. श्री चंदन पासवान, व0ले0प0<br>5. श्री आशुतोष कुमार, लेखापरीक्षक |
| 7 | पर्यवेक्षण पदाधिकारी | श्री कमल किशोर, व0ले0प0अ0(10.01.2017 से 28.01.2017) |
| 8 | पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति | कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया |
| 9 | लेखा परीक्षा टिप्पणी | जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल में नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। |
| 10 | क्या आपत्तियों पर विचार–विमर्श किया गया? | हाँ, दिनांक 03.02.2017 को |

## दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

## DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई आरा नगर निगम, आरा (भोजपुर) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

## भाग–II

### खण्ड 'क'

**कंडिका सं0 01. सैरातों की विभागीय वसूली के कारण निगम को हानि (राशि ₹ 46.87 लाख)**

आरा नगर निगम द्वारा वर्ष 2015–16 में बन्दोबस्ती/विभागीय वसूली से संबंधित पंजी का या तो संधारण नहीं किया गया अथवा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर भी, प्रस्तुत विवरणी एवं संचिका के अनुसार बन्दोबस्ती हेतु फरवरी 2015 में 'दैनिक जागरण' समाचार पत्र में (दिनांक 26.02.2015) सूचना प्रकाशित कराई गई थी। तदुपरांत 15 सैरातों से विभागीय वसूली हुई थी। जिन सैरातों की बन्दोबस्ती प्रथम बार (माह मार्च 2015) नहीं हो सकी उनसे संबंधित बन्दोबस्ती की सूचना का प्रकाशन तुरन्त नहीं कराकर 6 माह बाद ज्ञापांक सं0 1483, दिनांक 12.08.2015 के माध्यम से कराया गया (पेपर कटिंग उपलब्ध नहीं), परन्तु बंदोबस्ती नहीं हो सकी।

5 सैरातों जिनमें विभागीय वसूली हुई उनमें से 4 सैरातों में सुरक्षित जमा की राशि के बराबर भी वार्षिक वसूली नहीं हो सकी, विवरण निम्नवत है:–

| क्र0सं0 | सैरात का नाम | सुरक्षित जमा राशि | विभागीय वसूली की राशि | वसूलीकर्ता का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 01. | बहियारा हाता से गुजरने वाले ट्रक ट्रैक्टर से पथ शुल्क वसूली | 2961250.00 | 453710.00 | राजेश कुमार, वार्ड जमादार |
| 02. | बिहारी मील बस पड़ाव | 979800.00 | 363663.00 | आदित्य कुमार भगत, तहसीलदार |
| 03. | बहियारा हाता के अन्दर ताड़, खजूर का पेड़, ताड़ी चुलाने हेतु | 18400.00 | 10000.00 | जयनन्दन सिंह |
| 04. | सरदार पटेल मुख्य बस पड़ाव | 3221150.00 | 1665973.00 | संतोष कुमार सिंह, वार्ड जमादार |
| | कुल योग | 7180600.00 | 2493346.00 | |

कम वसूली राशि ₹ 4687254.00 (7180600.00 – 2493346.00)

विभागीय वसूली से संबंधित सैरातों का वर्ष 2015–16 में नगर आयुक्त द्वारा कभी भी निरीक्षण एवं अनुश्रवण अथवा सम्यक जांच/औचक निरीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार नगर निगम की लापरवाही से नगर निगम को राशि ₹ 46.87 लाख की हानि हुई। नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि बार– बार निविदा प्रकाशन के पश्चात भी बन्दोबस्ती नहीं होने पर विभागीय वसूली की कार्रवाई की जाती है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बन्दोबस्ती के प्रथम सूचना प्रकाशन के 6 माह पश्चात दुबारा सूचना प्रकाशन हेतु कार्यालय द्वारा लिखा गया था और उसका भी साक्ष्य (पेपर कटिंग) संचिका में संलग्न नहीं था।

**कडिका सं0 02. बंदोबस्ती की राशि की वसूली नहीं (राशि ₹ 11.60 लाख)**

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार सभी नगरपालिकाओं का दायित्व है कि वे लेखा तालिका के एकाउण्ट कोड (लेखा संहिता) एवं लेखा प्रविधियों, नियमों और प्रपत्रों को तथा नियम के अनुसार विधिवत सारे लेखा पुस्तकें जो कि सभी आय, व्यय, सम्पत्तियों और दायित्वों को नगरपालिका के अलग–अलग प्रदत्त विधि के संदर्भ में पर्याप्त रूप से रिकार्ड करें, का अनुसरण करेगी।

आरा नगर निगम के वर्ष 2015–16 से संबद्ध बन्दोबस्ती लेखा की नमूना जांच में पाया गया कि बन्दोबस्ती पंजी/बही एवं एकरारनामा का संधारण नहीं किया गया था। इस कारण कुल 22 सैरातों की बन्दोबस्ती अथवा विभागीय वसूली के विरूद्ध वास्तव में कितनी राशियां किन– किन तिथियों को नगर निगम निधि में जमा की गई को लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं किया जा सका। संबंधित संचिकाओं में भी वसूली गई राशियों का विवरण दर्ज नहीं था। फिर भी, नगर निगम द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कुल 15 सैरातों की बन्दोबस्ती वर्ष 2015–16 में की गई थी एवं 5 सैरातों के विरूद्ध विभागीय वसूली की गई थी। एक सैरात (मीरगंज स्थित सुलभ सौचालय) को वर्ष 2015–16 में बंद दर्शाया गया था एवं एक सैरात (मोती टोला मैलगड़हा कृषि योग्य भूमि) से संबंधित आंकड़ा/सूचना विवरणी अथवा प्रस्तुत संचिका में दर्ज नहीं था।

वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त (लगभग 11 महीने) कुल 5 सैरातों की बन्दोबस्ती राशि ₹ 1160399.00 को नगर निगम द्वारा बन्दोबस्तीधारी से वसूला नहीं जा सका है। विवरण निम्नवत है–

| क0 सं0 | सैरात का नाम | बन्दोबस्ती धारी का नाम एवं पता | बंदोबस्ती की राशि | वसूली गई राशि | कम वसूली की राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | गंगी पुल बस पड़ाव | गोविन्द वर्मा, पिता– सुरेश महतो, ग्राम– पण्डुरा (संदेश) | 713200.00 | 675300.00 | 37900.00 |
| 02. | स्टेशन रोड स्थित शौचालय | कमलेश कुमार सिंह, मौलाबाग, आरा | 289000.00 | 200000.00 | 89000.00 |
| 03. | अनु0कर्मचारी आवा0 परि0 स्थित साईकल स्टैण्ड | अशोक कुमार सिंह, नवादा, आरा | 415800.00 | 215500.00 | 200300.00 |
| 04. | स्टेशन रोड स्थित टेम्पु स्टैण्ड | चन्दन कुमार, जगदीशपुर, भोजपुर | 2020500.00 | 1739300.00 | 281200.00 |
| 05. | होर्डिंग बोर्ड | मनोज कुमार, तरी मुहल्ला, आरा | 681999.00 | 130000.00 | 551999.00 |
| | | कुल | 4120499 | 2960100 | 1160399 |

माह मार्च 2015 में बन्दोबस्ती के दौरान उपरोक्त 5 बन्दोबस्ती धारियों में से 3 बन्दोबस्ती धारी द्वारा बन्दोबस्ती राशि (आंशिक) से संबंधित नगर निगम को समर्पित चेक भी बैंक द्वारा अनादृत कर दिए गए थे। विवरण निम्नवत हैं–

| क्र0 सं0 | बन्दोबस्ती धारी का नाम | चेक सं0 / दिनांक | राशि |
|---|---|---|---|
| 01. | गोविन्द वर्मा | 476696 / 31.03.2015 | 237900.00 |
| 02. | चन्दन कुमार | 16958/000027 / 31.03.2015 | 1648000.00 |
| 03. | अशोक कुमार सिंह | 034581 / 31.03.2015 | 200300.00 |
| | | कुल | 2086200.00 |

उपरोक्त अनादृत चेकों के विरूद्ध नगर निगम द्वारा कोई विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई।

नगर निगम द्वारा सैरातों की वसूली से संबंधित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया था। इस संबंध में पूछे जाने पर नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अवशेष राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में सैरात पंजी का संधारण किया जाएगा।

अतः कुल ₹ 32.47 (11.60+ 20.86) लाख की वसूली कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाए।

**<u>कंडिका सं0 03. एकल निविदा के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन (राशि 166.92 लाख)</u>**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नगर निगम मेरठ बनाम ए1 फहीम मीट एक्सपोर्ट प्रा0 लि0 (arising out of SLP (Civil) N0. 10174 of 2006) में जारी निर्णय एवं तदनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार के आदेश सं0– 23.07.2007 तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शिका के कंडिका 9.2 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में एकल निविदा के माध्यम से ठेके प्रदान किये जा सकते हैं:–

1. प्राकृतिक आपदा, या
2. सरकार द्वारा घोषित आपात काल, या
3. निविदा का आमंत्रण दोहराया गया हो, फिर भी दूसरा निविदा प्राप्त न हो सका, या
4. जहां केवल एक आपूर्तिकर्ता लाइसेन्स धारी हो (सामग्रियों की आपूर्ति के मामले में)

नगर निगम आरा द्वारा संधारित योजना पंजी, निविदा पंजी एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कुल 25 योजनाएं जिनकी कुल लागत 16691524.00 है का कार्यान्वयन एकल निविदा के माध्यम से किया गया विवरण निम्नवत है:–

| क्र0 सं0 | मद | योजनाओं की सं0 | कुल प्राक्कलित राशि (₹ में) | एकरारनामा की राशि (₹ में) | कुल लागत राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि | 10 | 4214565.00 | 3787059.00 | 3780091.00 |
| 02. | चतुर्थ राज्य वित्त आयोग | 10 | 9416258.00 | 8600259.00 | 8323502.00 |
| 03. | तेरहवीं वित | 2 | 1623036.00 | 1458856.00 | 1457056.00 |
| 04. | नगर निगम मद | 3 | 3503400.00 | 3151275.00 | 3130875.00 |
| | कुल | 25 | 18757259.00 | 16997449.00 | 16691524.00 |

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– III पर)

इन योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रण का प्रकाशन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार के माध्यम से किया गया था। निविदा आमंत्रण का प्रकाशन दिनांक 22.07.2015 को दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण में किया गया था। एकल निविदा से संबद्ध कुल 25 योजनाओं से संबंधित निविदा का

आमंत्रण दुबारा नहीं किया गया एवं प्रथम प्रकाशन के आधार पर ही एकल निविदा को स्वीकार कर लिया गया जो माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग की मार्गदर्शिका एवं आदेश के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त योजनाओं से संबंधित योजना संचिका (ग्रुप सं0 8 एवं 125 को छोड़कर) बार– बार मौखिक अनुरोध के बावजूद आवश्यक जांच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। योजना संचिका के अभाव में योजनाओं के कार्यान्वयन की वास्तविकता की जांच लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी साथ ही ग्रुप सं0 58 एवं 124 से संबंधित योजनाओं की पूर्णता/अपूर्णता का पता नहीं चल सका तथा ग्रुप सं0 63 के अपूर्ण रहने का कारण भी ज्ञात नहीं हो सका। इस प्रकार, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय अनियमितता की भी संभावना प्रतीत होती है।

बंदोबस्ती से संबंधित संचिका के अवलोकन में पाया गया कि नगर निगम द्वारा वर्ष 2015–16 में होर्डिंग बोर्ड की बंदोबस्ती मनोज कुमार, पिता– श्री भगवान प्रसाद गुप्ता, तरी मुहल्ला आरा को की गई थी, जो बंदोबस्ती की शर्तों के अनुसार अप्रैल 2015 में ही डिफॉल्टर हो गए थे। उन पर लेखा परीक्षा की तिथि तक उक्त बंदोबस्ती की राशि ₹ 551991.00 बकाया थी। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के ग्रुप सं0 8 के संवेदक भी वही मनोज कुमार, पिता– श्री भगवान प्रसाद गुप्ता, तरी मुहल्ला आरा थे। इस योजना में इन्हें कुल ₹ 1851532.00 का ठेका प्रदान (जनवरी 2016) किया गया था, योजना की कुल लागत ₹ 1851523.00 थी एवं श्री कुमार को इस योजना में विभिन्न कर कटौतियों के उपरान्त कुल ₹ 1593356.00 का भुगतान किया गया था।

आगे, श्री मनोज कुमार को ग्रुप सं0 125 से संबंधित ठेका भी दिसम्बर 2015 में प्रदान किया गया था, यद्यपि इसमें चार व्यक्तियों ने निविदा डाला था। चारों निविदा दाताओं द्वारा कार्य का एक समान दर अंकित किये जाने के कारण श्री मनोज कुमार को लॉटरी के द्वारा सफल घोषित किया गया। इस योजना की प्राक्कलित राशि ₹793000.00, एकरारनामा की राशि ₹713700.00, अभिकर्ता को कुल भुगतान लेखा परीक्षा की तिथि तक ₹611014.00, विभिन्न कर कटौतियों सहित योजना का कुल लागत ₹713461 था। परन्तु इनके विपत्रों से बन्दोबस्ती की बकाया ₹ 551991.00 का समायोजन नहीं किया गया था।

नगर निगम द्वारा श्री मनोज कुमार के डिफॉल्टर होने के बावजूद एकल निविदा की स्थिति में ठेका प्रदान करने एवं बकाया बन्दोबस्ती की राशि की वसूली में उदासीनता बरतने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

एकल निविदा से संबंधित 25 योजनाओं से संबंधित निविदा का आमंत्रण दुबारा नहीं किए जाने संबंधी की गई अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों में P.W.D. कोड के अनुसार पूर्व से एकल निविदा मान्य थी। परन्तु वित विभाग की अधिसूचना सं0 1682, दिनांक 01.03.2016 से एकल निविदा होने की स्थिति में दुबारा निविदा आमंत्रण करने के पश्चात निविदा पर निर्णय लेने का प्राधिकार दिया गया है। दिनांक 01.03.2016 के पश्चात किसी भी एकल निविदा पर विचार नहीं किया गया है। जहां तक श्री मनोज कुमार के बन्दोबस्ती

में डीफॉल्टर होने के पश्चात भी निविदा आवंटन का प्रश्न है तो निगम कार्यालय द्वारा सैरात के बकाया राशि की वसूली की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम कार्यालय का जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं आदेश इस योजना कार्यान्वयन के बहुत पहले ही जारी हो गए थे।

**कंडिका सं0 04. एल.ई.डी. लाईट के कय में अनियमितता**

बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131 ज में रू0 25.00 लाख एवं इससे अधिक आकलित मूल्य की सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु सरकारी विभागों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वर्णित है, जो इस प्रकार है –

नियम 131 ज– विज्ञापित निविदा पूछताछ – (i) नियम 131ञ के अन्तर्गत समावेशित अपवादों को छोड़कर रूपया 25,00,000.00 (पच्चीस लाख रूपया) एवं इससे अधिक आकलित मूल्य की सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों का विज्ञापन महानिदेशक, वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित इण्डियन ट्रेड जर्नल (आई0टी0जे0) तथा कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक प्रसार वाली दैनिक पत्र में किया जाना चाहिए।

(ii) कोई संगठन जिसका अपना वेबसाइट हो उस पर वह अपने सभी विज्ञापित निविदा पूछताछ को भी प्रकाशित करेगी एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की वेबसाइट के साथ लिंक मुहैया करायेगी। उसे आई0टी0जे0 एवं समाचार पत्र के विज्ञापनों में अपने वेबसाइट का पता भी देना चाहिए।

(iii) संगठन को अपने वेबसाइट में समूची बिडिंग दस्तावेज को पोस्ट करना चाहिए तथा संबंधित बोलीकर्ताओं को वेबसाइट से दस्तावेज डाउन लोड कर उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि डाउन लोडेड दस्तावेज की कोई कीमत हो, तो बोली के साथ डिमांड ड्राफ्ट आदि द्वारा राशि के भुगतान हेतु बोलीकर्ता को स्पष्ट बताया जाना चाहिए।

(iv) बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतः निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन सप्ताह की होगी। जहाँ विभाग विदेशों से आमंत्रण (बोली) प्राप्त करने की इरादा रखती है तो वहां देशी एवं विदेशी बोलीकर्ता दोनों के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।

नियम 131 द के प्रावधानानुसार अधिप्राप्ति प्रक्रिया में स्वेच्छाचारिता की समाप्ति एवं पारदर्शिता, प्रतिस्पर्द्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करना–सभी सरकारी खरीद के लिये सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, प्रतिस्पर्द्धी एवं निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए।

नियम 131 घ के प्रावधानानुसार सार्वजनिक अधिप्राप्ति प्रक्रिया व्यवस्था में दक्षता, मितव्ययिता एवं उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किये जाने चाहिए।

Bihar VAT Rules, 2005 Rule No. 29(3)(i) के अनुसार The person making such deduction under sub-section (1) of section 41 and responsible for depositing the same shall forward the crossed cheque or a crossed bank draft, drawn in favour of the concerned circle incharge, accompanied by separate Challans in Form CH-I in respect of each contractor by the 15th day of the following month. The person making the deduction shall also enclose a statement in Form RT-VI giving details about such deductions.

**क. चतुर्थ वित्त के असम्बद्द्ध अनुदान एवं आंतरिक श्रोत से एल0ई0डी0 लाईट का क्रय में अनियमितता (राशि ₹222.58 लाख)**

नगर निगम आरा के चतुर्थ वित्त के असम्बद्ध अनुदान एवं आंतरिक श्रोत से किये गये एल0एई0डी0 लाईट क्रय की संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर निगम द्वारा एल0ई0डी0 लाईट क्रय करने के लिए दिनांक 04.06.2015 को निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, पटना को निविदा प्रकाशन करने के लिए भेजा गया था। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 26.06.2015 को 1.00 बजे अपराहन तक था। निविदा का प्रकाशन दिनांक 20.06.2015 को किया गया था। इस प्रकार बोली समर्पित करने की अवधि तीन सप्ताह के बदले मात्र छः दिन थी। विज्ञप्ति में तकनीकी विशिष्टियों, क्रय किये जाने वाले सामग्री की संख्या व उसकी अनुमानित लागत का उल्लेख नहीं किया गया था। फलस्वरूप बड़े फर्म के द्वारा सीधे इस निविदा में बोली समर्पित नहीं की गई। जिस कारण निविदा में स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त नहीं किया जा सका। इस निविदा विज्ञापन में चार आपूर्तिकर्ता फॉर्मों ने अपनी निविदाएँ दी। जिनकी सम्पूर्ण एल0ई0डी0 सेट की तुलनात्मक दरें तथा एल0ई0डी0 स्थापित करने की दरें निम्न प्रकार थे–

| क्र0 सं0 | फर्म का नाम | एल0ई0डी0 की कम्पनी | वैट के बिना दर (रू0) | जमानत जमा (रू0) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्मृति, कर्मण टोला, आरा | हैभेल्स | 20470 | 500000 | वैट की राशि अतिरिक्त |
| 2 | एस.के.इन्टरप्राईजेज, पटना | सुर्या | 16690 | 500000 | वैट की राशि अतिरिक्त |
| 3 | कुमार ब्रदर्स, रोहतास | कॉम्पटन | 17890 एवं तार का रू 22/मि0 | 500000 | वैट की राशि अतिरिक्त |
| 4 | भोजपुर इण्टरप्राईजेज, पकड़ी, आरा | कॉम्पटन | 18030 | 500000 | वैट की राशि अतिरिक्त |

उपरोक्त चार फर्म में से न्यूनतम दर प्रदाता एस.के.इण्टरप्राईजेज, पटना की निविदा स्वीकार करते हुए दिनांक 13.07.2015 को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में 1125 (45 वार्डों में प्रत्येक वार्ड के लिए 25 एल.ई.डी. लाईट) एवं महापौर के निर्देश पर 50 लाईट अर्थात कुल 1175 (1125 + 50) लाईट लगाए जाने का आदेश पारित किया गया। तदनुसार कार्यावंटन पत्र सं0 1210 दिनांक 15.07.2015 के द्वारा एस.के.इण्टरप्राईजेज, पटना को एकरारनामा संपादित कराने के लिए लिखे जाने के पश्चात दिनांक 24.07.2015 को एकरारनामा किया गया। कार्यादेश सं0 1412 दिनांक

1629

31.07.2015 के द्वारा 1175 एल.ई.डी. लाईट लगाने हेतु आपूर्ति आदेश एस के.इण्टरप्राईजेज, पटना को दिया गया। फर्म के द्वारा 03.08.3015 से 05.11.2015 के बीच 1175 एल.ई.डी. लाईट की आपूर्ति की गई। आपूर्ति किए गए 1175 एल.ई.डी. लाईट पर भुगतान का विवरण निम्नवत है:–

| क0 सं0 | रसीद सं0 एवं दिनांक | कैशमेमो की राशि | कटौती की राशि | भुगतान की राशि | चेक सं0 एवं दिनांक | लाईट की सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 238 / 03.08.2015 | 1894315.00 | 225315.00 | 1669000.00 | 559147 / 11.09.2015 | 100 |
| 02. | 239 / 17.08.2015 | 1894315.00 | 225315.00 | 1669000.00 | 559147 / 11.09.2015 | 100 |
| 03. | 240 / 07.09.2015 | 1894315.00 | 225315.00 | 1669000.00 | 559158 / 29.09.2015 | 100 |
| 04. | 245 / 28.09.2015 | 1894315.00 | 225315.00 | 1669000.00 | 559178 / 02.11.2015 | 100 |
| 05. | 246 / 04.10.2015 | 1894315.00 | 225315.00 | 1669000.00 | 559178 / 02.11.2015 | 100 |
| 06. | 249 / 20.10.2015 | 2841472.00 | 337972.00 | 2503500.00 | 559192 / 10.10.2015 | 150 |
| 07. | 250 / 02.11.2015 | 5682945.00 | 675945.00 | 5007000.00 | 559198 / 23.11.2015 | 300 |
| 08. | 252 / 05.11.2015 | 4262208.00 | 506958.00 | 3755250.00 | 554617 / 12.12.2015 | 225 |
| | कुल | 22258200.00 | 2647450.00 | 19610750.00 | | 1175 |

नगर निगम कार्यालय के द्वारा उपरोक्त अभिश्रवों से वैट के रूप में काटी गई कुल राशि ₹2647450 को वैट कार्यालय में जमा नहीं करते हुए अनावश्यक रूप से नगर निगम खाता में ही रखा गया। एस.के. इण्टरप्राईजेज, पटना के द्वारा दिनांक 19.12.2015 को नगर आयुक्त, आरा नगर निगम, आरा को लिखे पत्र के साथ फॉर्म सी–3 संलग्न कर वैट के रूप में काटी गई कुल राशि ₹2647450.00 की मांग की गई। इस संबंध में प्राप्त फॉर्म सी–3 का सत्यापन संबंधित वाणिज्य कर कार्यालय से कराए बगैर ही चेक सं0 554629 दिनांक 22.12.2015 को वैट के रूप में काटी गई राशि 2647450.00 संबंधित फर्म को वापस कर दिया गया।

पुनः नगर निगम बोर्ड की दिनांक 31.08.2015 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चौदहवीं वित आयोग मद से प्राप्त राशि से सभी वार्डों में पुनः 25–25 लाईट एवं दिनांक 02.09.2015 नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में महापौर की अनुशंसा पर 75 अतिरिक्त कुल 1200 (45 वार्डों में प्रत्येक वार्ड के लिए 25 एल.ई.डी. लाईट + महापौर की अनुशंसा पर पर 75) एल.ई.डी. लाईट का क्रय उक्त फर्म से ही किया जाए। ज्ञापांक सं0 1910 दिनांक 27.11.2015 के द्वारा एस.के.इण्टरप्राईजेज को उसी दर पर नगर निगम क्षेत्र में 1200 एल.ई.डी. लाईट लगाने के लिए पूर्व में हुए एकरारनामा की शर्तों पर सुरक्षित जमा राशि के रूप में मो0 ₹500000.00 निगम कोष में जमा कराने के लिए कहा गया। कैशमेमों सं0 262, दिनांक 26.12.2015 के अनुसार फर्म के द्वारा 240 लाईट की आपूर्ति की गई जिसे भण्डार पंजी के पृष्ठ सं0 188 पर अंकित कर उक्त फर्म को ही वापस वार्ड में लगाने के लिए दे दिया गया। पुनः ज्ञापांक सं0 411, दिनांक 02.03.2016 को एस.के.इण्टरप्राईजेज, पटना को पत्र लिख कर लाईट लगाए जाने के विषयाधीन आदेश (240 लाईट के संदर्भ में) को रद्द करते हुए आदेश दिया गया कि आपके द्वारा निगम के किसी वार्ड में एल.ई.डी. लाईट अधिष्ठापित किया गया है तो संबंधित वार्ड पार्षद से संपर्क स्थापित करते हुए लाईट प्राप्त कर लें।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. निविदा आमंत्रण में निविदा समर्पित करने के लिए निर्धारित अवधि तीन सप्ताह के बदले मात्र 6 दिन का समय दिया गया।
2. उत्पादक कंपनी द्वारा प्रदत प्राधिकृत डीलर का प्रमाण–पत्र की सत्यता की जांच किए जाने से संबंधित कोई प्रतिवेदन संचिका में संलग्न नहीं था।
3. अधिष्ठापित 1175 एल.ई.डी. लाईट के लिए विज्ञापन के नियम एवं शर्त सं0 3 के अनुसार आपूर्ति किये गये सामग्रियों की तकनीकी जांच के पश्चात ही भुगतान किये जाने का प्रावधान था। लेकिन संचिका में तकनीकी जांच का प्रतिवेदन संलग्न नहीं था।
4. विज्ञापन के नियम एवं शर्त सं0 7 के अनुसार वारंटी अवधि में किसी प्रकार की त्रुटि आने पर उसका सुधार अभिरूचि प्रदाता को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा जिसके लिए अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी का प्रावधान किया गया था, परंतु लाईट के अधिष्ठापन के पश्चात लाईटों के कार्यशील होने/न होने से संबंधित सर्वे नगर निगम द्वारा नहीं किया गया था।
5. 1175 लाईटों का अधिष्ठापन से संबंधित स्थानों का जिक्र एवं लाभुकों द्वारा हस्ताक्षरित अधिष्ठापन प्रमाण–पत्र संचिका में संलग्न नहीं था।
6. सुरक्षित जमा राशि (Performance Security) सामग्री के मूल्य का कम–से–कम 5 प्रतिशत अर्थात ₹980537.00 (19610750.00 का 5 प्रतिशत) होना चाहिए था, जबकि सुरक्षित जमा राशि मात्र ₹500000 ही लिया गया इस प्रकार कुल राशि ₹480537.00 कम जमा लिया गया।
7. वैट के रूप में काटी गई राशि को तत्काल संबंधित कार्यालय को न भेजकर अपनी निधि में ही रोककर रखे जाने एवं एस.के.इण्टरप्राईजेज के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म सी–3 का सत्यापन कराए बगैर वैट के रूप में काटी गई राशि ₹2647450.00 वापस किए जाने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
8. नगर निगम द्वारा पूनः 1200 एल.ई.डी. लाईट लगाने के संबंध में बोर्ड के बैठक में पारित किया गया। जिसके लिए पुनः निविदा की प्रक्रिया का पालन किए बगैर एस.के.इण्टरप्राइजेज को ही आपूर्ति आदेश दिया गया। बिना निविदा की प्रक्रिया का पालन किए उक्त फर्म को ही पुनः 1200 एल.ई.डी. लाईट लगाए जाने का आदेश दिए जाने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
9. नगर निगम द्वारा 240 एल.ई.डी लाईट के अधिष्ठापन के उपरान्त एकरारनामा रद्द करते हुए एल.ई.डी. लाईट को हटा लेने का आदेश निर्गत करने का क्या कारण था तथा फर्म द्वारा कुल कितने एल.ई.डी. लाईट नगर निगम क्षेत्र से खोल कर वापस ले जाए गए इस संबंध में कोई उल्लेख संचिका में उपलब्ध नहीं था।
10. संचिका में वारण्टी कार्ड संलग्न नहीं था।

उपरोक्त आपत्तियों पर नगर निगम द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

627

**ख. 1655 एल0ई0डी0 (855 नगर आंतरिक श्रोत मद से एवं 800 चौदहवें वित मद से) लाईट के क्रय में अनियमितता (₹321.80 लाख)**

दिनांक 18.02.2016 को आरा नगर निगम बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि '25 की सं0 में एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसे दो–चार वार्ड में लगा भी दिया गया था परन्तु अचानक कार्य स्थगित कर दिया गया गया है। इस संबंध में तत्काल सभी वार्डों में 35–35 एल. ई.डी. लाईट जगाया जाए जिसके लिए निविदा प्रकाशित कराया जाए'। पुनः सशक्त स्थायी समिति की दिनांक 18.02.2016 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वीर कुंवर सिंह पार्क में 30 एल.ई.डी. लाईट एवं महापौर के अनुशंसा पर 50 एल.ई.डी. लाईट नगर में विभिन्न स्थानों पर कुल 1655 (45 X 35 + 30 + 50) लाईट लगाए जाए।

निविदा प्रकाशन के लिए कार्यालय द्वारा दिनांक 14.03.2016 को निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, पटना को भेजा गया था। निविदा का प्रकाशन दिनांक 19.03.2016 को किया गया था एवं निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 28.03.2016 को 1.00 बजे अपराहन तक था। इस प्रकार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह के बदले मात्र 9 दिन थी। इस निविदा विज्ञापन में प्रदत्त समय तक 5 निविदाएं प्राप्त हुई जबकि निर्धारित समय के पश्चात 1 निविदा प्राप्त हुई। ससमय प्राप्त निविदा में से निम्न 3 ने सभी शर्तों के अनुसार तकनीकी बीड समर्पित किया था। जिनकी वित्तीय बीड की स्थिति निम्नवत थी:–

| क्र0 सं0 | फर्म का नाम | एल0ई0डी0 निर्माण प्रकार | वैट के बिना दर (रू0) | अधिष्ठापन शुल्क | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | यू.के.ट्रेडर्स, आरा | सूर्या | 18980 | 860 प्रति नग | 820 मेन्टेन्स चार्ज/वर्ष |
| 2 | एस.के.इन्टरप्राईजेज, पटना | सूर्या | 15980 | 400 प्रति नग | |
| 3 | भोजपुर इण्टरप्राईजेज, पकड़ी, आरा | कॉम्पटन | 16300 | 750 प्रति नग | 1250 मेन्टेन्स चार्ज/वर्ष |

निविदा में भाग लेने वाले 5 फर्म के निविदादाताओं में से 2 फर्म ने शपथ पत्र संलग्न नहीं किया था एवं शेष 3 फर्मों द्वारा संलग्न शपथ पत्र में से तीनों फर्म के शपथ पत्र एक साथ एक ही नोटरी से एक ही दिन बनवाये गए थे। विवरणी निम्नवत है:–

| क्र0सं0 | फर्म का नाम व पता | नोटरी का नाम व पता | शपथ सं0 | शपथ दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | यू.के.ट्रेडर्स, आरा | अजय कुमार पाण्डे, भोजपुर आरा, | 2817 | 21.03.2016 |
| 2. | एस.के.इन्टरप्राईजेज, पटना | अजय कुमार पाण्डे, भोजपुर आरा, | 2816 | 21.03.2016 |
| 3. | भोजपुर इण्टरप्राईजेज, आरा | अजय कुमार पाण्डे, भोजपुर आरा, | 2818 | 21.03.2016 |
| 4. | एस.के.इलेक्ट्रीक, आरा | संलग्न नहीं | – | – |
| 5. | ईस्ट इण्डिया ट्रेडिंग, पटना | संलग्न नहीं | – | – |

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि यद्यपि निविदादाताओं में से 2 फर्म आरा एवं 1 फर्म पटना का है, फिर भी शपथ पत्र एक साथ एक ही नोटरी से आरा में बनवाया गया था एवं शेष 2 ने शपथ पत्र संलग्न ही नहीं किया था।

इससे पूर्व 2015–16 में क्रय किए गए 1175 एल.ई.डी. लाईट में भी 4 फर्म के निविदाओं में संलग्न शपथ पत्र में से 3 फर्म के शपथ पत्र इसी नोटरी (अजय कुमार पाण्डे, भोजपुर, आरा) से एक साथ एक ही दिन बनवाये गए थे। विवरणी निम्नवत है –

| क्र0 सं0 | फर्म का नाम व पता | नोटरी का नाम व पता | शपथ सं0 | शपथ दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मेसर्स स्मृति, आरा | अजय कुमार पाण्डे, भोजपुर आरा, | 4626 | 24.06.2015 |
| 2. | एस.के.इन्टरप्राईजेज, पटना | अजय कुमार पाण्डे, भोजपुर आरा, | 4625 | 24.06.2015 |
| 3. | भोजपुर इण्टरप्राईजेज, आरा | अजय कुमार पाण्डे, भोजपुर आरा, | 4627 | 24.06.2015 |

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि यद्यपि निविदादाताओं में से 2 फर्म आरा एवं 1 फर्म पटना का है, फिर भी शपथ पत्र एक साथ एक ही नोटरी से बनवाया गया था। उपरोक्त दोनों निविदा की प्रकिया में निविदादाताओं की आपसी मिली भगत की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

एस.के.इण्टरप्राईजेज जिसे पूर्व में 1175 एवं वर्तमान में 1655 एल.ई.डी. लाईट नगर निगम क्षेत्र में अधिष्ठापित करने के लिए निविदा प्रदान की गई थी के द्वारा संलग्न फॉर्म 'बी' (वाणिज्य–कर–उपायुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना के द्वारा दिनांक 27.01.2016 को निर्गत) के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मेसर्स एस.के.इण्टरप्राईजेज, पटना सिर्फ स्टेशनरी से संबंधित यथा कम्प्युटर एवं संबंधित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, कलम, पेंसिल, रिफिल, कार्टीज, नॉजल, निब, ज्योमेट्री बॉक्स, क्लर बॉक्स, इरेजर, शार्पनर, लेखन–स्याही आदि को पुनः बेचने (Resale) करने के लिए ही निबंधित थी। इसके अलावे अन्य किसी भी सामग्री के उत्पादन अथवा पुनः बेचने (Resale) के लिए यह फर्म निबंधित ही नहीं था।

इस निविदा में एस.के.इण्टरप्राईजेज, पटना की निविदा स्वीकार करते हुए दिनांक 08.04.2016 के द्वारा एकरारनामा संपादित कराने के लिए लिखे जाने के पश्चात दिनांक 09.04.2016 को एकरारनामा किया गया। कार्यादेश सं0 687 दिनांक 12.04.2016 के द्वारा 1655 एल.ई.डी. लाईट लगाने हेतु आपूर्ति आदेश एस.के.इण्टरप्राईजेज, पटना को दिया गया। फर्म के द्वारा लगाए गए 1655 एल.ई.डी. लाईट पर भुगतान का विवरण निम्नवत है:–

| क्र0 सं0 | रसीद सं0 एवं दिनांक | कैशमेमो की राशि | कटौती की राशि | भुगतान की राशि | चेक सं0 एवं दिनांक | मद | विपत्र सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 271 / 16.04.2016 | 3402768.00 | 430918.00 | 2971850.00 | अनुपलब्ध | आंतरिक श्रोत | 175 |
| 02. | 272 / 02.05.2016 | 3402768.00 | 430918.00 | 2971850.00 | अनुपलब्ध | आंतरिक श्रोत | 175 |
| 03. | 275 / 20.05.2016 | 3402768.00 | 430918.00 | 2971850.00 | अनुपलब्ध | आंतरिक श्रोत | 175 |
| 04. | 282 / 29.05.2016 | 3402768.00 | 430918.00 | 2971850.00 | 554333 / .06.2016 | आंतरिक श्रोत | 175 |
| 05. | 287 / 19.06.2016 | 3402768.00 | 430918.00 | 2971850.00 | 554353 / .0702016 | आंतरिक श्रोत | 175 |
| 06. | विपत्र संचिका से निकाला हुआ है। | 6805536.00 | 861836.00 | 5943700.00 | 921635 / 26.07.2016 | चौदहवीं | |
| 07. | विपत्र अनुपलब्ध | 3402768.00 | 430918.00 | 2971850.00 | 921640 / 06.08.2016 | चौदहवीं | |
| 08. | विपत्र संचिका से निकाला हुआ है। | 3402768.00 | 430918.00 | 2971850.00 | 921642 / 31.08.2016 | चौदहवीं | |
| 09. | 299 / 30.08.2016 | 1555551.00 | 196991.00 | 1358560.00 | 553923 / 24.12.2016 | चौदहवीं | |
| | कुल | 32180463.00 | 4075253.00 | 28105210.00 | | | |

नगर निगम कार्यालय के द्वारा उपरोक्त अभिश्रवों से वैट के रूप में काटी गई कुल राशि ₹4075253 को वैट कार्यालय में जमा नहीं करते हुए लेखा परीक्षा की तिथि तक नगर निगम खाता में ही रखा गया था।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. निविदा आमंत्रण में निविदा समर्पित करने के लिए निर्धारित अवधि तीन सप्ताह के बदले मात्र 9 दिन का समय दिये जाने संबंधि की गई लेखा परीक्षा टिप्पणी के आलोक में नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि निविदा आमंत्रण हेतु नगर निगम से निदेशक सूचना जन संपर्क विभाग को विज्ञापन की प्रति भेजी जाती है तदोपरान्त उनके स्तर से निविदा का प्रकाशन किया जाता है। जवाब तर्कसंगत नहीं है। निदेशक सूचना जन संपर्क विभाग का कार्य सिर्फ निविदा का प्रकाशन कराना भर है। निविदा का प्रारूप, तकनीकी विशिष्टि, समय इत्यादि का निर्धारण नगर निगम कार्यालय स्तर से ही किया जाता है।
2. विज्ञापन के नियम एवं शर्त सं0 3 के अनुसार आपूर्ति किये गये सामग्रियों की तकनीकी जांच के पश्चात ही भुगतान किये जाने का प्रावधान था। लेकिन संचिका में तकनीकी जांच का प्रतिवेदन संलग्न नहीं था। तकनीकी जांच से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु लिखे जाने पर नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि नगर निगम आरा में तकनीकी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं रहने के कारण एल0ई0डी0 लाईट का जांच नगर प्रबंधक आरा नगर निगम के माध्यम से कराया गया जिनके स्तर से सभी एल0ई0डी0 लाईट का जी.ओ. टैग फोटोग्राफी के पश्चात ही भुगतान की कार्रवाई किया गया है। जवाब से स्पष्ट होता है कि लगाए गए एल0ई0डी0 लाईट का तकनीकी जांच नहीं कराया गया था।

3. एस.के.इण्टरप्राईजेज का वाणिज्य कर कार्यालय, पटना से इलेक्ट्रीकल से संबंधित सामग्रियों को बेचने से संबंधित निबंधन नहीं होने के बावजूद दो–दो बार निविदा स्वीकृत किए जाने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत कराये जाने हेतु लिखे जाने पर नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। जवाब से स्पष्ट होता है कि निविदा प्रक्रिया में निविदाप्रदाताओं के द्वारा संलग्न अभिलेखों का सम्यक जांच नहीं किया गया था।
4. विज्ञापन के नियम एवं शर्त सं0 7 के अनुसार वारंटी अवधि में किसी प्रकार की त्रुटि आने पर उसका सुधार अभिरूचि प्रदाता को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा जिसके लिए अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी का प्रावधान था। लाईट के अधिष्ठापन के पश्चात लाईटों के कार्यशील होने/न होने से संबंधित सर्वे कराए जाने हेतु पूछे जाने पर नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है, सर्वे कराया जाएगा।
5. 1655 लाईटों का अधिष्ठापन में लाभुकों द्वारा हस्ताक्षरित अधिष्ठापन प्रमाण–पत्र संचिका में संलग्न नहीं होने पर की गई टिप्पणी के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा।
6. सुरक्षित जमा राशि (Performance Security) सामग्री के मूल्य का कम–से–कम 5 प्रतिशत अर्थात ₹1405260 (28105210.00 का 5 प्रतिशत) होना चाहिए था, जबकि सुरक्षित जमा राशि मात्र ₹1000000 ही लिया गया इस प्रकार कुल राशि ₹405260 कम जमा लिए जाने का कारण पूछे जाने पर नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।
7. वैट के रूप में काटी गई राशि को तत्काल संबंधित कार्यालय को न भेजकर अपने निधि में ही रोककर रखे जाने पर नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि जमा करने की कार्रवाई की जा रही है।
8. संचिका में वारण्टी कार्ड संलग्न नहीं था।

एस.के.इण्टरप्राईजेज द्वारा 1175 लाईट का आपूर्ति किया जाना आगे 240 लाईटों की आपूर्ति किये जाने के उपरान्त लाईट को हटा लेना/वापस प्राप्त कर लेने का आदेश नगर निगम द्वारा दिया जाना एवं पुनः इसी एस.के.इण्टरप्राईजेज द्वारा 1655 लाईटों की आपूर्ति किया जाना पूरी एल.ई.डी. लाईट की निविदा, खरीद एवं अधिष्ठापन की प्रक्रिया को सुनियोजित एवं संदेहास्पद बनाती है। अतः पूरे मामले की सम्यक उच्चस्तरीय जांच अपेक्षित है।

623

## भाग–II

### खण्ड–'ख'

**कंडिका सं0 05. एनेक्सी भवन का अप्रयुक्त पड़ा रहना (राशि ₹23.72 लाख)**

| | |
|---|---|
| आवंटन का विवरण– | सहायक अनुदान |
| आवंटन राशि | ₹2500000.00 |
| आवंटन आदेश | 2917 / न0वि0एवआ0वि0 / पटना, दिनांक 05.06.2008 |
| उद्येश्य | प्रशासनिक एवं तकनीकी भवन निर्माण (एनेक्सी भवन) |

Bihar Public Works Department के फॉर्म सं0 एफ 2 के ठेके की शर्त के क्लाउज सं0 2 के अनुसार:- The time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shall be reckoned from the date on which the written order to commence work is given to the contractor. The work shall throughout the stipulated period of the contract be carried on with all due diligence (time being deemed to be the essence of the contract on the part of the contract or) and the contractor shall pay as compensation an amount equal to ½ percent on the amount of the estimated cost of the whole work as shown by the tender for every day that the work remains uncommenced or unfinished after the scheduled completion dated. And further to ensure good progress during the execution of the work the contractor shall be bound in all cases in which the time allowed for any work exceeds one month to complete one fourth of the whole of the work before onefourth of the whole time allowed under the contract has elapsed one-half of the work before one-half of such time elapsed and three-fourth of the work, before three fourths of such time has elapsed in the event of the contractor falling to employ with this condition. I shall be liable to pay as compensation an amount equal to ½ percent on the said estimated cost of the whole work for every day that the due quantity of work remains incomplete provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions the clause shall not exceed 10 percent of the estimated cost of the work as shown in the tender.

नगर निगम आरा के प्रांगण में निर्माणाधीन एनेक्सी भवन से संबंधित संचिका के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा आरा नगर निगम के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी भवन निर्माण हेतु 05.06.2009 को ₹ 25.00 लाख राशि की स्वीकृति एवं आवंटन आदेश प्रदान किया गया था। दिनांक 22.10.2008 को नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में एनेक्सी भवन के निर्माण हेतु कुल राशि ₹ 3023794.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस मद में सरकार से प्राप्त ₹ 25.00 लाख से अधिक की राशि ₹ 523795.00 की मांग सरकार से की जाए तथा राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निगम कोष से इसका भुगतान करने का निर्णय लिया

गया। निविदा के आधार पर मेसर्स जय बजरंग कन्सट्रक्शन के श्री प्रबल प्रताप सिंह को प्राक्कलित राशि ₹ 29.72 लाख से 7 प्रतिशत अधिक अर्थात ₹ 3180040.00 पर करने के लिए कार्य आवंटन एवं दिनांक 17.05.2009 को राशि ₹ 3180040.00 का एकरारनामा, तत्पश्चात कार्यादेश (दिनांक 17.05.2009) निर्गत करते हुए कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया था। उस समय भवन का ग्राउण्ड फ्लोर के स्ट्रक्चर का निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्रथम तल पर छत स्तर तक कॉलम तथा ब्रीक वर्क का कार्य पूर्ण (मार्च 2010) हो गया था। मापी पुस्त की राशि ₹1249788.00 एवं संवेदक को भुगतान एवं कटौती की राशि अर्थात कुल लागत ₹1249788.00 हो चुका था। तत्पश्चात तत्कालीन मुख्य नगर अभियंता, आरा नगर निगम द्वारा अनुमान के आधार पर निर्माण कार्य को कमजोर बताकर कार्य बंद करा दिया गया एवं मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना से मंतव्य मांगा गया (पत्रांक 115 दिनांक 15.11. 2010)। जिसके आलोक में भवन प्रमंडल आरा के प्रयोगशाला से बीम, कॉलम एवं रूफ स्लैब के कंक्रीट स्ट्रेन्थ की जांच कराई गई। जांच में स्ट्रेन्थ संतोषजनक पाया गया (फरवरी 2015)। 20.01.2015 को तत्कालीन विभागीय सचिव के निगम कार्यालय में आगमन के क्रम में समीक्षा के पश्चात एनेक्सी भवन को शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.05.2015 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से एनेक्सी भवन के शेष कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया। जिसके लिए पुनः ग्राउण्ड फ्लोर के शेष कार्य के लिए राशि ₹1122600.00 का नया प्राक्कलन तैयार करा कर निविदा के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः कार्यान्वित इस योजना की विवरणी निम्नवत है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्राक्कलित राशि | ₹1122600.00 |
| 2. | संवेदक का नाम | श्री राजेश कुमार, भोजपुर |
| 3. | एकरारनामा राशि | ₹1122600.00 |
| 4. | एकरारनामा सं0 एवं तिथि | 1F2/2009-10, Dt 17.05.2009 |
| 5. | कार्यादेश तिथि | 01.12.2015 |
| 6. | कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि | दो माह (31.01.2016) |
| 7. | मापी पुस्त की राशि | ₹1121666.00 |
| 8. | वैट कटौती | ₹56083.00 |
| 9. | रॉयल्टी कटौती | ₹1864.00 |
| 10. | सुरक्षित जमा राशि | ₹56083.00 |
| 11. | आयकर कटौती | ₹25348.00 |
| 12. | लेबर सेस कटौती | ₹11216.00 |
| 13. | संवेदक को भुगतान की गई राशि | ₹971072.00 |
| 14. | योजना की कुल लागत | ₹2372388.00 (1249788.00 + 1121666.00) |
| 15. | योजना पूर्ण होने की वास्तविक तिथि | 02.03.2016 (विलंब की अवधि 30 दिन) |

621

एनेक्सी भवन के निर्माण पर कुल राशि ₹2372388.00 का व्यय होने के बावजूद भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य लेखा परीक्षा की तिथि तक अपूर्ण था।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. योजना को 5 दिन के विलम्ब से पूर्ण किए जाने के बावजूद समय वृद्धि के रूप में प्राक्कलित राशि का 2.5 प्रतिशत राशि ₹ 28042.00 की कटौती नहीं किए जाने संबंधी की गई लेखा परीक्षा टिप्पणी के आलोक में नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि कार्य पूर्ण हो चुका था परन्तु कनीय अभियंता द्वारा कार्य की मापी 5 दिन के विलम्ब से ली गई फलस्वरूप विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गई। जवाब के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप राशि ₹28042.00 उत्तरदायी अधिकारी से वसूलनीय है।
2. भवन का निर्माण कार्य रोक दिये जाने की स्थिति में आवंटन के रूप में प्राप्त शेष राशि ₹1250212.00 (2500000.00 – 1249788) लाख को सरकार को वापस नहीं करते हुए अनावश्यक रूप से नगर निधि में 8 वर्ष (आवंटन प्राप्ति की तिथि) से अधिक समय तक अवरोधित रखे जाने के संबंध में नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि जांच की प्रक्रिया प्रारंभ थी एवं निर्माण कार्य अवशेष था जिसके कारण राशि वापस नहीं की जा सकी। जवाब मान्य नहीं है। भवन जांच की एक सामान्य प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से 5 वर्ष के विलम्ब से पूर्ण किया गया।
3. तत्कालीन मुख्य नगर अभियंता द्वारा प्रथम चरण के निर्माण कार्य (कुल लागत ₹ 1249788.00) को निम्न स्तर का पाये जाने से संबंधित लिखित साक्ष्य के आलोक में नगर निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि तत्कालीन मुख्य नगर अभियंता द्वारा कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया था। इस प्रकार, नगर निगम द्वारा जवाबदेह संवेदक अथवा मुख्य नगर अभियंता के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

नगर निगम की प्रशासनिक विफलता के कारण योजना प्रारम्भ होने के 8 वर्षों के बाद भी अपूर्ण है।

**कंडिका सं0 06. संचार मीनारों (मोबाइल/इन्टरनेट इत्यादि) पर बकाया (₹ 358.50 लाख)**

बिहार संचार मीनारों तथा संबंधित संरचना नियमावली, 2012 के नियम 6 में प्रावधान है कि नगर निगम क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 50000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क ₹15000 प्रति टावर प्रति वर्ष वसूल किया जाना है। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि एक ही टावर पर अतिरिक्त एंटिना लगाया गया हो तो प्रति एंटिना पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के रूप में प्रत्येक एंटिना के लिए अतिरिक्त 60 प्रतिषत राशि वसूल किया जाएगा। साथ ही यह भी प्रावधान है कि वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह तक प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिमाह डेढ़ प्रतिषत की दर से ब्याज भी वसूलनीय होगा।

आरा नगर निगम क्षेत्र में कितने संचार मीनार अधिष्ठापित हैं तथा उनमें से कितने का पंजीकरण निगम कार्यालय में हुआ इससे संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण निगम कार्यालय में नहीं किया गया था। इसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि नगर निगम क्षेत्र में कितने संचार मीनारों का पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2015–16 तक किया गया था। साथ ही यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि इस अवधि में निगम कार्यालय को कितनी राशि पंजीयन शुल्क तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुयी तथा 31.3. 2016 को कितनी राशि इन टावरों के पास बकाया थी।

आरा नगर निगम द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत एक विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 तक निगम कार्यालय में कुल 121 मोबाईल टावरों का पंजीकरण किया गया था। इस विवरणी के अनुसार मार्च 2016 तक इन टावरों के पास कुल ₹ 35850250.00 बकाया था। यह आँकड़ा किस आधार पर बनाया गया लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

मोबाईल टावर जिन भू–खंडों अथवा भवनों पर अधिष्ठापित किये गये हैं उनका विवरण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण ज्ञात नहीं किया जा सका कि निगम कार्यालय द्वारा उनसे निर्धारित दर से करों की वसूली की जा रही अथवा नहीं।

लेखा परीक्षा टिप्पणी–

1. आरा नगर निगम क्षेत्र में स्थापित संचार मीनारों तथा उसमें कार्यरत एंटिनाओं के मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था।
2. निगम कार्यालय द्वारा निगम क्षेत्र के मोबाईल टावरों का सर्वेक्षण नगर निगम द्वारा कराये जाने संबंधी सर्वेक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. मोबाईल टावरों से बकाया नवीकरण शुल्क की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में निगम कार्यालय द्वारा संबंधित कंपनियों को नोटिस निर्गत करने संबंधी साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. वित्तीय वर्ष 2015–16 में मोबाईल टावरों द्वारा शुल्क जमा नहीं करने पर किसी टावर के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गयी थी।
5. मोबाईल टावर जिन भू–खंडों अथवा भवनों पर अधिष्ठापित किये गये हैं उनसे बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली, 2013 के आलोक में उनके वाणिज्यिक उपयोग के लिए कर की वसूली नहीं की गई थी। इस संबंध में नगर निगम कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः बकाया मोबाईल टावर शुल्क की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए तथा मोबाईल टावर जिन भू–खंडों अथवा भवनों पर अधिष्ठापित किये गये हैं उनसे बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली, 2013 के आलोक में उनके वाणिज्यिक उपयोग के लिए कर की वसूली की जाए एवं इसके फलाफल से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए।

**कंडिका सं0 07. एच. रसीद से वसूली राशि से कम/नहीं जमा (₹1336)**

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सहपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले कार्य दिवस तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हे अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यों में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। नगर निगम आरा के एच. रसीद के जांच में पाया गया कि निम्नलिखित रसीदों से वसूली गई राशि से कम कोषागार में जमा किया गया। विवरणी निम्नवत है –

| क्र0 सं0 | होल्डिंग रसीद सं0 | वसूली का दिनांक | होल्डिंग रसीद से वसूली गई राशि | कोषागार में जमा की गई राशि | कोषागार में कम जमा की गई राशि | कम जमा करने वाले व्यक्ति का नाम (सर्व श्री) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 8274 | 13.04.2015 | 418.00 | 318.00 | 100.00 | तत्कालीन नाजीर द्वारा कोषागार में कम जम राशि |
| 02. | 13541 | 14.07.2015 | 495.00 | 405.00 | 90.00 | तत्कालीन नाजीर द्वारा कोषागार में कम जम राशि |
| 03 | 2700 | 13.04.2016 | 646.00 | 0.00 | 646.00 | मंगल कुमार सिंह |
| 04. | 1761 – 1772 | 19.04.2016 से 21.04. 2016 | 21864.00 | 21464.00 | 400.00 | तत्कालीन नाजीर द्वारा कोषागार में कम जम राशि |
| 05. | 11978 से 11981 | 27.06.2015 | 3324.00 | 3224.00 | 100.00 | तत्कालीन नाजीर द्वारा कोषागार में कम जम राशि |

अंकेक्षण तिथि तक एच. रसीद से वसूल की गई राशि कोषागार में जमा नहीं की गई थी। नगर निगम कार्यालय द्वारा अंकेक्षण आपत्ति का जवाब भी लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। एच. रसीद से वसूल की गई राशि से कोषागार में कम जमा की गई राशि को शीघ्र कोषागार में जमा कराकर साक्ष्य की प्रति महालेखाकार कार्यालय को समर्पित किया जाये।

**कंडिका सं0 08. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (राशि ₹2073.20 लाख)**

नगर निगम आरा द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। जिससे वर्ष के प्रारम्भ में अव्ययित अनुदान, वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान एवं वर्षान्त में अनुदानों के अवशेष का पता नहीं चल सका। फिर भी, नगर निगम आरा द्वारा अपलब्ध कराए गए सूची के अनुसार वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में सरकार द्वारा प्राप्त कुल राशि ₹ 3487.56 लाख के अनुदानों में से ₹ 2073.20 लाख का उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 10.01.2017 तक सरकार को समर्पित नहीं

किया गया था। वर्ष 2015–16 में प्राप्त अनुदान एवं सरकार को समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण निम्नवत है:–

(राशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | आवंटन का मद | स्वीकृत्यादेश सं0 एवं तिथि | आवंटन राशि | समर्पित उपयोगिता प्रमाण–पत्र | लंबित राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | तेरहवीं वित | 01/08.04.15 | 38.19 | 38.19 | 0.00 |
| 02. | पार्षद भत्ता | 08/19.05.15 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 03. | पंचम राज्य वित | 123/21.03.16 | 599.88 | 599.88 | 0.00 |
| 04. | सिविक एमेनिटिज | 16/17.07.15 | 235.64 | 0.00 | 235.64 |
| 05. | पेशाकर | 37/28.08.15 | 66.06 | 0.00 | 66.06 |
| 06. | तेरहवीं वित्त | 06/30.04.15 | 154.72 | 0.00 | 154.72 |
| 07. | चौदहवीं वित्त | 13/13.07.15 | 314.57 | 0.00 | 314.57 |
| 08. | तेरहवीं वित्त | 11/22.06.15 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |
| 09. | सिविक एमेनिटिज | 31/20.08.15 | 57.63 | 0.00 | 57.63 |
| 10. | पथ पुलिया निर्माण | 26/12.08.15 | 241.92 | 0.00 | 241.92 |
| 11. | चौदहवीं वित्त | 75/23.12.15 | 311.06 | 0.00 | 311.06 |
| | | कुल | 2028.36 | 645.07 | 1383.29 |

प्राप्त अनुदानों के उपयोग से संबंधित अभिलेख यथा– अभिश्रव, कार्यादेश, एकरारनामा, निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य अभिलेख आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में प्राप्त अनुदानों में से कुल राशि ₹ 2073.20 लाख का उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित रहने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। वर्ष 2015–16 में प्राप्त अनुदानों की सूची भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्वच्छ भारत मिशन आदि केन्द्र प्रायोजित योजनाएं से संबंधित अनुदानों से संबंधित विवरणी भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका जिससे वर्ष 2015–16 में प्राप्त अनुदान की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। इस संबंध में नगर निगम कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार नगर निगम कार्यालय आरा में अभिलेखों के संधारण एवं अनुदानों के उपयोग की स्थिति चिंताजनक थी। अतः प्रभावी कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

**<u>कंडिका सं0 09. सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर बकाया (राशि ₹173.84 लाख)</u>**

निगम कार्यालय के कर शाखा द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत में निगम का कुल ₹ 17384462.00 होल्डिंग टैक्स के रुप मे सरकारी /अर्द्धसरकारी भवनों पर बकाया था। विवरण निम्नवत है:–

1617

1. वर्ष के प्रारम्भ में बकाया राशिः— ₹17884528.00
2. वर्ष के दौरान प्राप्त राशिः—
   क. वसूली गई राशिः— ₹491492.00
   ख. प्रदान किया गया छूटः— ₹8574.00
3. कुल योग (क+ ख):— ₹500066.00
4. बकाया राशिः— ₹17384462.00

सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। वर्ष 2015–16 में उक्त बकाया की वसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था। इस आपति का कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः बकाया की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

**कंडिका सं0 10. होल्डिंग टैक्स की बकाया (राशि ₹ 370.91 लाख)**

कार्यालय नगर निगम आरा द्वारा माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। जिस कारण धृति कर धारकों पर वास्तविक माँग एवं वसूली राशि, धृति कर की दर तथा धृति कर की अंतिम पुनरीक्षण की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। हालांकि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए होल्डिंग टैक्स वसूली से संबंधित विवरणी के जाँच के क्रम में गया कि वर्ष 2013–14 से 2015–16 में होल्डिंग टैक्स के रूप ₹ 37090863.00 वसूलनीय थी जिसकी विवरणी निम्न हैः—

| क्र0 सं0 | वर्ष | पूर्व का बकाया | इस वर्ष की बकाया राशि | कुल वसूलनीय राशि | वर्ष के दौरान वसूली | वसूली का प्रतिशत | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-14 | 17334721 | 23601433 | 40936154 | 17146815 | 41.89 | 23789339 |
| 2 | 2014-15 | 23789339 | 27654619 | 51443958 | 19262893 | 37.44 | 32181065 |
| 3 | 2015-16 | 32181065 | 30995059 | 63176124 | 26085261 | 41.29 | 37090863 |

उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर निगम आरा में धृति कर के वसूली का प्रतिशत कम था, जिससे बकाया राशि में प्रतिवर्ष बहुत अधिक वृद्धि होती जा रही थी।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. धृति कर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. धृति कर की अंतिम पुनरीक्षण से संबंधित संचिका अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।
3. धृति कर बकाया की वसूली के लिए कार्यालय द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

इस संबंध में नगर निगम कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः उचित कार्रवाई एवं बकाया वसूली कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।